

क्रमांक एफ 1 (A) II(207) स्था./राईस/साक्षात्कार/2016/ 8129

जयपुर, दिनांक 22/5/17

आवासीय विद्यालयों में साक्षात्कार (Walk In Interview) का विज्ञापन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन राईस द्वारा संचालित निम्न राजकीय आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदों को शिक्षा विभाग में कार्यरत, प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापकों (2nd ग्रेड) एवं अध्यापक लेवल-2 (तृतीय क्षेत्रीय अध्यापक), पुस्तकालयध्यक्ष-III, शारीरिक शिक्षक-II, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सेवक, साक्षात्कार (Walk In Interview) के माध्यम से प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने हैं। प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों का विद्यालयवार विवरण एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित दिनांक का विवरण निम्नानुसार है:-

दिनांक	पदों का नाम जिनका साक्षात्कार लिया जाना है	आवासीय विद्यालयों का नाम			
		क्र.स.	बालिका	क्र.स.	बालक
06.06.2017	प्रधानाचार्य	1	आटुण (भीलवाडा)	1	चाण्डपुरा (जालौर)
		2	भैंसवाडा (जालौर)	2	मण्डाना (कोटा)
		3	हिण्डोली (बून्दी)	3	सागवाडा (डुंगरपुर)
		4	हिंगी (कोटा)		
		5	तेलीखेडा (भीलवाडा)		
	व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापकों (2 nd ग्रेड)/अध्यापक लेवल-2 (तृतीय क्षेत्रीय अध्यापक)/शारीरिक शिक्षक-II/पुस्तकालयध्यक्ष-III/प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सेवक	1	आटुण (भीलवाडा)	1	अटरू (बारा)
		2	भैंसवाडा (जालौर)	2	बगडी (दौसा)
		3	छाण (स.मा.)	3	बालेटा (अलवर)
		4	देवलेन (करौली)	4	चाण्डपुरा (जालौर)
		5	हिण्डोली (बून्दी)	5	धनवाडा (झालावाड)
		6	हिंगी (कोटा)	6	हरियाली (जालौर)
07.06.2017	व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापकों (2 nd ग्रेड)/अध्यापक लेवल-2 (तृतीय क्षेत्रीय अध्यापक)/शारीरिक शिक्षक-II/पुस्तकालयध्यक्ष-III/प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सेवक	1	खोडन (बांसवाडा)	1	केनपुरा (पाली)
		2	पावटा (नागौर)	2	खेडा आसपुर (डुंगरपुर)
		3	तेलीखेडा (भीलवाडा)	3	मण्डाना (कोटा)
		4	वजीरपुरा (टोक)	4	मण्डोर (जोधपुर)
		5	युसुफपुरा (टोक)	5	सागवाडा (डुंगरपुर)

नोट:- आवेदनकर्ताओं के लिए निर्देश

- प्रतिनियुक्ति के इच्छुक कार्मिकों को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करना होगा। आवेदन प्रारूप विभाग की वेबसाईट <http://sje.rajasthan.gov.in> पर डाउनलोड किया जाकर साफ सुथरे अक्षरों में भर कर दिनांक 31.05.2017 सायं 6:00 बजे तक विभाग को व्यक्तिशः या पोस्ट द्वारा भिजवाया जा सकता है।
- शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत अभ्यर्थी प्रतिबंधित जिले में स्थित आवासीय विद्यालयों के लिए ही आवेदन कर सकेंगे।
- प्रथमतः प्रतिनियुक्ति केवल एक वर्ष के लिए होगी, जिसमें नियमानुसार वृद्धि की जा सकेगी।
- बालिका आवासीय विद्यालयों में महिला कार्मिक को प्राथमिकता दी जायेगी।
- प्रतिनियुक्ति पर चयनित कार्मिकों को मूल वेतन का 15 प्रतिशत विशेष वेतन भत्ता देय होगा।
- विषयवार रिक्त पदों की सूचना एवं अन्य दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाईट <http://sje.rajasthan.gov.in/> misc/vac.post reeis may17 PDF पर देखी जा सकती है।
- साक्षात्कार हेतु विभाग द्वारा चयनित कार्मिक दिनांक 06.06.2017 एवं दिनांक 07.06.2017 को 11.00 बजे साक्षात्कार (Walk In Interview) हेतु निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर के सभागार भवन में अपने साथ मूल दस्तावेज (मय स्वप्रमाणित प्रतियां), पासपोर्ट साईज की फोटो तथा वर्तमान कार्यालयध्यक्ष से सेवा सत्यापन विवरण एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
- प्रधानाचार्य पद के लिए प्रधानाचार्य ही आवेदन कर सकेंगे।
- साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/उपस्थिति प्रमाण-पत्र देय नहीं होगा।
- विस्तृत जानकारी (Clarifications) हेतु फोन नं. 0141-2220169 एवं 2220278 पर प्रातः 9:30 से शायकाल 6:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
एवं सचिव राईस

आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति हेतु साक्षात्कार दिनांक 06.06.2017 एवं 07.06.2017 हेतु आवेदनकर्ताओं के लिए पात्रता/दिशा निर्देश

क्र.सं.	पद नाम	पात्रता
1	प्रधानाचार्य	राजकीय सी.सैकण्डरी स्कूल के प्रधानाचार्य पद।
2	व्याख्याता	सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि तथा बी.एड.
3	वरि.अध्यापक ग्रेड-II	स्नातक उपाधि मय बी.एड
4	अध्यापक ले-2	STC अथवा बी.एड तथा राजस्थान शिक्षा सेवा के कार्मिक जिन्हें अध्यापक लेवल-2 के पद पर न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो।
5	शारीरिक शिक्षक-II	राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा में कार्यरत जिन्हें द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक।
6	पुस्तकालय अध्यक्ष-III	पुस्तकालयाध्यक्ष की योग्यताधारक
7	प्रयोगशाला सहायक	प्रयोगशाला सहायक
8	प्रयोगशाला सेवक	प्रयोगशाला सेवक

दिशा निर्देश:-

- आवेदक द्वारा विभाग के निर्धारित आवेदन प्रारूप को साफ सुथरे अक्षरों में भरा जाए।
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम प्रतिनियुक्ति हेतु मान्य होंगे।
- केवल वे ही कार्मिक आवेदन करें जो वर्तमान में राज्य सेवा के प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग में सेवारत हैं। कार्मिक केवल एक ही स्थान एवं एक ही पद के लिए आवेदन करें, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जायेगा।
- शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत कार्मिक प्रतिबंधित जिलों में स्थित आवासीय विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पदों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं।
- अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति समाप्ति के पश्चात मूल विभाग में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य है।
- कार्मिक के खिलाफ वर्तमान में किसी प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित/लम्बित नहीं होनी चाहिए।
- कार्मिक आवेदन पत्र एवं रिक्त पद, एवं दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाईट <http://sje.rajasthan.gov.in> पर डाउनलोड कर सकते हैं अथवा निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।
- कार्मिक को आवेदन पत्र पूर्णतया भरकर आवेदन पत्र पर अपना हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट साईज का फोटों चिपका कर उसके साथ जन्म तिथि, योग्यता प्रमाण पत्र, सेवा आदि से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित छाया प्रतियां एवं वर्तमान कार्यालयध्यक्ष से सेवा सत्यापन विवरण एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र लेकर निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
- विभाग द्वारा जारी साक्षात्कार हेतु चयनित सूची में कार्मिक को बोर्ड के समक्ष मूल प्रमाण-पत्र लेकर निर्धारित दिनांक 06.06.2017 एवं 07.06.2017 को समय 11:00 AM पर आना होगा। संबंधित कार्मिक को साक्षात्कार हेतु नाम की जानकारी, विभाग की वेबसाईट <http://sje.rajasthan.gov.in> पर देखनी होगी। साक्षात्कार की दिनांक को मूल प्रमाण पत्रों के अभाव में साक्षात्कार निरस्त किया जा सकता है।
- जिन कार्मिकों का परीवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है आवेदन नहीं करें।
- साक्षात्कार के लिए आने वाले कार्मिकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता /उपस्थिति प्रमाण-पत्र देय नहीं होगा।
- वेबसाईट पर बताए गए रिक्त पद अनुमानित है तथा उनमें कमी या वृद्धि संभावित है।
- विशेष योग्यताधारी कार्मिकों को अनुभव में छूट दिये जाने एवं अन्य समस्त अधिकार निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा सचिव राईस के पास सुरक्षित होंगे।
- प्रतिनियुक्ति पर चयनित कार्मिकों को मूल वेतन का 15 प्रतिशत विशेष वेतन भत्ता देय होगा।
- बालिका विद्यालयों में महिला कार्मिक को प्राथमिकता।
- चयन से पूर्व अथवा पश्चात् कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
- प्रथमतः प्रतिनियुक्ति केवल 1 वर्ष के लिए होगी, जिसमें नियमानुसार वृद्धि की जा सकती है।
- प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की सेवाएँ संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर उन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है।
- समस्त मामलों में किसी वाद के होते हुए अन्तिम निर्णय का अधिकार निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं पदेन सचिव, राईस को होगा।

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान जयपुर

आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

रजि.नं.....(कार्यालय उपयोग हेतु)

आवासीय विद्यालय का नामविषय.....

Recent
Photo
paste here

1. कार्मिक का नाम
2. पिता का नाम
3. जन्म तिथि
4. गृह जिला
5. शैक्षणिक योग्यता
6. आवेदक का वर्तमान पता
7. प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं स्थान
8. सम्बन्धित शिक्षा निदेशालय (Set up)
9. वर्तमान में धारित मूल पद
10. वर्तमान पदस्थापन स्थान
11. वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण दिनांक
12. कुल सेवा अवधि
13. आवासीय विद्यालय में अनुभव.....वर्ष, अवधि दिनांक.....सेतक
14. आवासीय विद्यालय में पूर्व में पदस्थापन स्थान का नाम.....
15. संबंधित विषय का गत तीन वर्षों के परीक्षा परिणाम 1.....2.....3.....
16. मोबाईल नं. (1) (2)
17. आवश्यक दस्तावेज संलग्न।

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचना/जानकारी सही है मेरे द्वारा आवेदन पत्र में असत्यता नहीं है अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक :-

प्रार्थी
हस्ताक्षर